जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 110 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 22 फरवरी, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

एस.आई. भर्ती पर दो माह में निर्णय ले सरकार, फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी

हाई कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से यह भी कहा कि 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी दें

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 21 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन मामले में दिए गए यथा-स्थिति के आदेश जारी रहेंगे और किसी को भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **मामले के जानकार वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में कहा गया है कि अगर पेपर लीक के कारण अवांछित लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों से पृथक किया जा सकता है, तो अपराधी को पकड़ा जाए, पर, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नहीं हटाया जाए।**
- **कई अदालतों के ऐसे भी फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि पेपर लीक का अगर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ है तो परीक्षा को रद्द न किया जाए।**
- **अदालत के आदेशानुसार, अगले दो माह तक भी एस.आई. भर्ती पेपर लीक मामले में जाँच जारी रहेगी। अगर प्रकरण में लिप्त अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है तो परीक्षा रद्द करने के तर्क को मजबूती मिलती है।**

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर चार माह में निर्णय ले लिया जाएगा। ऐसे में अदालत मामले में दिए यथास्थिति के आदेश को हटाए, ताकि दोषी ट्रेनी अफसरों को बर्खास्त करने सहित अन्य कार्रवाई की जा सके। इस पर अदालत ने कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा, लेकिन सरकार मामले में कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के पास पर्याप्त रिकॉर्ड है और वह एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले सकती है। वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा कहा गया कि पेपर लीक केस में हमारी संलिप्तता नहीं मिली है। हम में से कुछ अभ्यर्थी तो दूसरी सरकारी नौकरी छोडकर आए हैं। ऐसे में यदि भर्ती रद्द हुई तो हमारे साथ अन्याय होगा। सफल चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का कहना था कि उनके मोव्वकिल आर.ए.एस. व सहयोगी सेवाओं की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए थे, परन्तु एस.आई. भर्ती परीक्षा में उत्तीण होने के बाद उन्होंने वहां पदभार नहीं संभाला। इन एस.आई. भर्ती में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि उनका नाम पूर्व में किसी भी विवाद या गैरकानूनी गतिविधी से नहीं जोड़ा गया है।

इस मामले को जानने वाले वकीलों का कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय है जिनमें कहा गया है कि 'पेपर लीक' से जुड़े ऐसे मामले जहां 'पेपर लीक' के कारण अवांछित लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को सच्चे व आम अभ्यर्थियों से पूरी तरफ पृथक किया जा सकता है, वहां मुजरिमों को पकड़ा जाए, परन्तु अन्य उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को हटाया नहीं जाए।

कई अदालतों के ऐसे भी फैसले है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक पद सुरक्षित रख फार्मासिस्ट की चयन सूचि जारी करें

जयपुर, 21 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की चयन सूची जारी करने पर लगी अपनी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए पद सुरक्षित रखने को कहा है, जो अदालत के अंतरिम आदेश पर निर्भर करेंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दीपू श्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की

- **हाईकोर्ट ने पूर्व में लगाया स्टे हटाकर राज्य सरकार को निर्देश दिया।**

ओर से कहा गया कि अदालत ने 11 दिसंबर, 2023 को भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। ऐसे में इससे रोक हटाई जाए। इस पर अदालत ने चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद रिक्त रखने को कहा है।

याचिकाकर्ता के वकील सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को कहा कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 को 23 मई 2022 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार फार्मेसी पद पर नियुक्ति के लिये नियुक्ति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा संचालित की जायेगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और बोनस अंकों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने पलटवार किया, भाजपा पर यूएस एड विवाद में

''भाजपा श्वेत पत्र जारी करने की हमारी माँग पर चुप है, क्योंकि भाजपा इस विवाद को जीवित रखना चाहती है, अपने दोष व कमियों से ध्यान हटाने के लिये''

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। भारत में चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डैवलपमैंट (यू.एस.ए.आई.डी.) अर्थात् यूएस एड द्वारा दिए जा रहे 21 मिलियन डॉलर की राशि को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो ''फंडिंग नैरेटिव'' पेश किया है, वह अपने पाप छिपाने के लिए है, कि किस तरह से उसने पूर्व कांग्रेस सरकारों को गिराने के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल किया था।

इसी दौरान कांग्रेस के मीडिया व पब्लिसिटी प्रभारी पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर संदेह दूर करने के लिए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

ट्रम्प की स्वीकारोक्ति कि पूर्व यूएस सरकारें भारत में चुनावों को प्रभावित करती रही हैं, के बाद भाजपा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र हितों के विरोध में काम करने का आरोप लगाया।

एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुये, खेड़ा ने कहा, ''यूएस एड द्वारा दिए गए 21 मिनियन डॉलर फंड की जो कहानी है, वो भाजपा, मोदी सरकार के मंत्रियों, भाजपा के आर्थिक सलाहकार तथा उसके आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख द्वारा गढ़ी गई है तथा आरएसएस-भाजपा ईकोसिस्टम तथा भाजपा के निकटस्थ मीडिया के वर्ग, लोगों का ध्यान भाजपा के उन पापों से हटाने के लिये, योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, जो उसने भारत में कांग्रेस सरकारों, जिनमें यूपीए सरकार भी शामिल है, को अस्थिर करने के लिये विदेशी फंड का उपयोग करके किये हैं।

- **कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा ने विदेशी धन व साधनों की मदद लेकर, कांग्रेस की सरकारों को गिराने का सदा प्रयास किया है।**
- **अगर भाजपा यूएस एड के पैसे को इतना अपवित्र व दूषित मानती है तो भाजपा सरकार ने भारत मिशन, अटल इनोवेशन मिशन इसे सहयोगी क्यों बनाया तथा नीति आयोग ने ''समृद्धि इनिशिएटिव'' को हाल ही में 2022 में पार्टनर की भूमिका क्यों ऑफर की।**

इंडियन एक्सप्रैस के शुक्रवार के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा कि यह सच सामने आ गया है कि 21 मिलियन डॉलर का यू.एस.ए.आई.डी. फंड भारत को नहीं, बल्कि बाँग्लादेश को दिया गया था। सरकारी दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं। मोदी जी के घनिष्ठ मित्र ट्रम्प ने इरादतन या गैर-इरादतन डिपार्टमैंट ऑफ गवर्नमैंट एफिसिएंसी (डीओजीई) के जरिए यह भूल की थी।''

खेड़ा ने कहा, लेकिन आरएसएस-भाजपा ईकोसिस्टम ने निर्लज्तापूर्वक इसे पकड़ लिया तथा तथ्यों का परीक्षण नहीं किया। इससे पता चलता है कि वे भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने के अपने कृत्यों को छिपाना चाहते थे।

आरएसएस और भाजपा पर हमला बोलते हुये, खेड़ा ने कहा, ''इंदिरा गांधी सही थीं, जब उन्होंने कहा था कि भाजपा के सैद्धांतिक पूर्वजों और जनता पार्टी के पीछे ''विदेशी हाथ'' है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरएसएस ने आपातकाल के दौरान तथा उससे पहले सीआईए की सहायता ली थी। भारत की चुनाव प्रक्रिया तथा हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का तथा हमारे संविधान को दूषित करने का आरएसएस-भाजपा का घृणित रिकॉर्ड रहा है।''

इस मामले में सत्तारूढ़ दल पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मदन राठौड़ कल वापस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे

जयपुर, 21 फरवरी। मदन राठौड का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना तय हो गया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा गया। मदन राठौड के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में उनका प्रदेशाध्यक्ष बनना फाइनल है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे होगी।

इससे पहले, मदन राठौड के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित पांच प्रस्तावक बने। शाम साढे 4 बजे तक नामांकन भरे गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई।

चुनाव प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने कहा कि नामांकन फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया। आज हमें पांच नामांकन फॉर्म के सेट मिले हैं, जिनमें एक ही नाम मदन राठौड का है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा होगी। प्रदेशाध्यक्ष चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे।

- **कल मदन राठौड़ की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्वाचन होगा।**

दिल्ली की निवर्तमान व वर्तमान मु.मंत्री के बीच छींटाकशी शुरु हुई

पूर्व मु.मंत्री आतिशी मारलीना ने भाजपा की नवगठित सरकार पर आरोप लगाया, उसने दिल्ली की हर महिला को ढाई हजार रूपये की सहायता देने का चुनावी वायदा पूरा नहीं किया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली की पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बीच शब्द-बाण चलना शुरु हो गये हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने महिलाओं को 2,500 रूपए की वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा न करके अपना चुनावी वादा तोड़ दिया है। ज्ञातव्य है कि भाजपा ने ऐसा चुनावी वादा किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुये कहा कि आप नेता को भाजपा से प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, ''अब दिल्ली की चिंता हम करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को उसके अधिकार मिलेंगे।''

- **नव निर्वाचित मु.मंत्री रेखा गुप्ता ने कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना की स्वीकृति देकर, दिल्ली के हर नागरिक को दस लाख रूपये का लाभ पहुँचाया। अतः अब आप पार्टी को भाजपा से दिल्ली की जनता की मदद पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता और अब हम दिल्ली व उसकी जनता की भलाई की चिंता करने के लिए पर्याप्त हैं।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी थी, जिसे आप सरकार ने रोक दिया था।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, ''हमने पद संभालने के पहले दिन ही, दिल्ली की जनता को 10 लाख रूपए का लाभ दिया है।'' रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 7 में से दो सदस्य अर्थात 29 प्रतिशत अरबपति हैं। सभी सात मंत्रियों की औसत सम्पति 56.03 करोड़ रुपए हैं, यह जानकारी इलैक्शन वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डैकोमैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण से प्राप्त हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 248 करोड़ रुपए की सम्पत्ति घोषित की है।

वहीं पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने 115 करोड़ रुपए की सम्पत्ति घोषित की है। गृह, शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने 9 करोड़ रुपए की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 करोड़ रुपए की सम्पत्ति घोषित की हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री पंकज सिंह ने 4 करोड़ रुपए की और कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने एक करोड़ रुपए की सम्पत्ति घोषित की है। रोचक बात यह है कि वर्ष 2020 में दिल्ली के 7 में से 5 मंत्री यानि 71 प्रतिशत करोड़पति थे, तब मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 8.96 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2015 में आप सरकार के मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 2.6 करोड़ रुपए थी।

सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष तथा पार्टी की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को एक दिन तक डॉक्टरों की देख-रेख में रहने के बाद शुक्रवार को यहां गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, गांधी को गुरुवार सुबह पेट दर्द के बाद यहां सर गंगा राम अस्पताल

- **वे कल पेट दर्द की शिकायत के साथ सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई थी।**

में नियमित चेकिंग के लिये ले जाया गया, जहां पेट से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें भर्ती कराया गया।

पार्टी सूत्रों के सनुसार, गांधी की कल सुबह नियमित जांच की गई, लेकिन पेट में मामूली संक्रमण होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया और आज सुबह छुट्टी दे दी गई।

गांधी को नियमित जांच के लिए अस्पताल ले जाता है लेकिन कल सुबह पेट दर्द के कारण उन्हें 24 घण्टे के लिए भर्ती किया गया। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी करती रही थी।

दिल्ली का विधानसभा सत्र 24 फरवरी

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें विधायकों की शपथ के साथ ही, कैग की रिपोर्ट को भी सदन पेश होने की संभावना है। यह सत्र तीन दिन, 24, 25 और 27 फरवरी को चलेगा। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट की

- **इस सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ सी.ए.जी. की लम्बित पड़ी 14 रिपोर्ट पेश होने की चर्चा है।**

पहली बैठक में सरकार ने एक तरफ आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया है तो दूसरी तरफ, कैग की लंबित पड़ी 14 रिपोर्ट को भी विधानसभा की पहली बैठक में ही पेश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कहा था, आयुष्मान योजना को हमने न सिर्फ दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया है, बल्कि इसके खिलाफ पिछली सरकार ने अदालत में जो याचिकाएं दाखिल की थीं, उन्हें वापस लेने के लिए भी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की अड़चन न आए।

'आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था'

मंत्री की टिप्पणी पर जूली ने कहा, इंदिरा गांधी के लिये इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 21 फरवरी। ''पिछले बजट 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था।'' प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यह तंज कसा।

मंत्री की इस टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए कहा था- यह क्या बकवास है? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसके बाद मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हुए वैल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए थे।

दिनभर चले हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। शाम चार बजे विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने के बाद, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने डोटासरा सहित 6 कांग्रेस विधायकों को सदन से सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर किया गया।

इसके बाद, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद, कांग्रेस के निलंबित विधायकों को घेरकर विपक्ष धरने पर बैठ गया।

इसके बाद, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली खान और संजय कुमार

- **हंगामे के कारण तीन बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तथा अंत में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के प्रस्ताव पर 6 कांग्रेस विधायकों को सदन से सस्पैंड किया गया। विपक्ष के विधायक सदन में धरने पर बैठे।**
- **सस्पैंड किये गये कांग्रेस विधायक हैं- कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागज़ी, ज़ाकिर हुसैन गैणावत, हाकम अली खान और संजय कुमार।**

को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया। ज्ञात रहे कि गत वर्ष अगस्त में भी कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सस्पेंड किया गया था।

सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री ही सदन नहीं चलाना चाहते। आज पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब सदन में गतिरोध बना था, तब इनके मंत्री विधायकों ने मुझे और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को गालियां दीं, हम चुप रहे। आज मंत्री अविनाश गहलोत देश के लिए शहीद होने वाली उस आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर उसे कार्यवाही से नहीं हटा रहे। सदन में इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती। इंदिरा गांधी के खिलाफ कमेंट को सदन की कार्यवाही से निकालें।

जूली ने कहा कि इनके मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पाए। रफीक खान ने जब अफसरों पर फर्जी जवाब देने की बात कही तो उसे कार्यवाही से हटा दिया। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता कि सदन चले। मंत्रियों के जवाबों से बीजेपी विधायक ही संतुष्ट नहीं हैं। हमने सदन चलाने में सहयोग का वादा किया है तो इनके गुलाम नहीं हो गए। इस तरह नहीं चलने देंगे। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सत्ता पक्ष खुद सदन नहीं चलाना चाहता। हम विधानसभा में गाली नहीं खाएंगे। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। विधायक रफीक खान के सवाल का मंत्री देवासी जवाब नहीं दे सके, गलत जवाब दिया।

डोटासरा ने कहा कि विधायक ने फर्जी आंकड़े देने की बात कही तो उनके आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया। मंत्री अविनाश गहलोत देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के लिए ''आपकी दादी'' कह रहे हैं, उनके शब्द को कार्यवाही से नहीं निकाला। यह सदन चलाने वाले लक्षण नहीं है। इस तरह नहीं चलेगा।

उधर मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जब-जब सदन में आते हैं, तो हंगामा होता है, वो नेता प्रतिपक्ष को पचा नहीं पा रहे हैं। आज प्रश्नकाल के दौरान सब ठीक चल रहा था, मंत्री अविनाश गहलोत ने आपकी दादी शब्द इस्तेमाल किया था, यह असंसदीय नहीं है। सत्ता पक्ष ने एक राय होकर फैसला किया। डोटासरा और कांग्रेस विधायक स्पीकर की डायस तक पहुंच गए थे।

जब स्पीकर ने उन्हें बुलाया था तो वे उग्र और आक्रामक होकर आए, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सदन में धरना देना उनका अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं खुले मन से बातचीत को तैयार हूं और मैं खुद बातचीत करने के लिए जाऊंगा। कांग्रेस के विधायकों को अपने कृत्य के लिए खेद भी जताना पड़ेगा।

'दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़े सभी वीडियो - फोटो हटा दें'

नईदिल्ली, 21 फरवरी। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखा है। इस पत्र में रेल मंत्रालय ने एक्स से 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से

- **रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को चिट्ठी लिखी।**

जुड़े सभी वीडियो और फोटो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके पीछे मंत्रालय ने एथिकल नॉर्म्स का हवाला दिया है। रेलवे ने पत्र में एथिकल नॉर्म्स और आईटी पॉलिसी का हवाला देते हुए एक्स से ऐसे वीडियो हटाने को कहा है, जिनमें डेड बॉडी और बेहोश यात्री दिख रहे हैं। मंत्रालय ने 36 घंटे के भीतर एक्स से करीब 250 ऐसे वीडियो हटाने के लिए कहा है। हालांकि, एक्स की ओर से अभी तक रेलवे मंत्रालय के पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को उस वक्त भगदड़ मच गई थी, जब वहां महाकुंभ जाने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)